



फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

रामचन्द्र बनाम हनुमान व अन्य

संख्या : 11 / 2024 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र)

ज्ञा ही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
224	<p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 167/2023 वं प्रार्थना पत्र संख्या 135/2023 ब उनवानी हनुमान बनाम फूलचन्द्र व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली 27.02.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               जिला कलक्टर              जयपुर (ग्रामीण)           </p> <p>27/2/24 पत्रावली पेश हुई। कमील प्रार्थना उपरोक्त। कमील प्रार्थना ने अज्ञात कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा R.A.S का अन्याय स्वान्तरण हो गया है। उपखण्ड अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा R.A.S का अन्याय स्वान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थना इत प्रस्तुत मुत्तकिल प्रार्थना स्वतः ही प्रभु शून्य हो गया है। फल स्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली गवर्नर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">               जिला कलक्टर              जयपुर (ग्रामीण)           </p>	